



गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर (भवन अनुभाग)

पत्रांक.....185

सेवा में,

सेक्टर.....01

दिनांक.....19-6-14

श्री/श्रीमती/मेसर्स.....
.....
.....

आपके पत्र दिनांक...25-10-12...मानचित्र सं०...1605/2012...के संदर्भ में आपके प्रस्तावित 31 वारसायि वृद्धिनी भवन निर्माण को मोहल्ला/कालोनी.....मिर्जापुर पंचायत.....भूखण्ड/भवन सं० 252 पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।

- यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल 5 वर्ष तक वैध है।
- मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
- जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
- उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
- जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मोके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
- आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
- निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
- पर्यावरण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 10% पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत चित्र इसके साथ संलग्न है। भवन समाप्त होने के एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
- प्राधिकरण से अध्यासन (आकूपैस्ती) प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आकूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
- दरवाजे वा खिड़कियाँ इस तरह से लगायें जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हों।
- बिजी की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
- सड़क, सर्विसलेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
- यह मानचित्र उ० प्र० नगर योजना एवं अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो यह शर्त भी मान्य होगी।
- सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रेस्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
- सुपरविजन एवं सिसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
- पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र 31-5-14 का पालन करना होगा।

संलग्न : स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

प्रस्तुत मानचित्र गणनादेन संख्या-129(1)/8-3-14-211

विविध/13टी०सी० दिनांक 22 अप्रैल, 2014 शहरी आवास

नियोजन अनुभाग-3 द्वारा दिये गये दिश के क्रम में मा०

दुन्दतम् न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या

7065/2014 में पारित होने वाले आदेश के अधीन स्वीकृत/

निर्गत किया जा रहा है।

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर